समाचार

लाकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने, मास्क न पहनने पर लगा 10500 रूपये जुर्माना

(निगम के विभिन्न जोन में की गई कार्यवाही)

कोरबा 03 अगस्त 2020 – लाकडाउन का उल्लंघन करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, मास्क न पहनने आदि प्रकरणों पर निगम अमले द्वारा आज भी अपने विभिन्न जोनांतर्गत 10500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। लोगों को कड़ी हिदायत दी गई कि वे बिना मास्क पहने घरों से बाहर न निकले, लाकडाउन के दौरान अपने घर पर ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दुकानदारों को भी हिदायत दी गई कि वे दुकान खोलने के निर्धारित समय तक ही दुकान खोलें तथा सोशल डिस्टेंसिंग एवं लाकडाउन का पालन अनिवार्य रूप से करें।

मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने तथा लाकडाउन का पालन न करने वालों पर निगम अमले द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार लाकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय भी निर्धारित किया गया है, निर्धारित समय के बाद भी दुकान खोलकर लाकडाउन का उल्लंघन करने पर भी निगम अमले द्वारा प्रतिदिन कार्यवाही की जा रही है, इन सभी प्रकरणों पर आज भी कार्यवाही की गई तथा कुल 10500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। कार्यवाही के दौरान मास्क न पहनने वालों पर 5850 रूपये, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर 2650 रूपये तथा लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर 2000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में निरंतर कराई जा रही मुनादी –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने सभी जोनांतर्गत स्थित वार्डो, बस्तियों, व्यवसायिक क्षेत्रों, बाजारों, आवासीय क्षेत्रों, मार्गो आदि में लाउण्डस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराई जा रही है तथा लोगों को समझाईश दी जा रही है कि वे वायरस के संक्रमण से बचने एवं उसका

प्रसार रोकने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से पहने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें, घर पर ही सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर न निकले, लाकडाउन से छूट की अवधि में अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाएं तथा लाकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें।

लाकडाउन का पालन कराने आज भी जुटा रहा निगम अमला– नगर पालिक निगम कोरबा के कोरबा, टी.पी. नगर, कोसाबाड़ी, रविशंकर शुक्ल, बालको, दर्री, बांकीमोंगरा एवं सर्वमंगला सभी 08 जोन में जोन कमिश्नरों की अगुवाई में निगम का अमला आज भी लाकडाउन का पालन कराने में जुटा रहा। आवश्यक सेवाओं से संबंधित ऐसी दुकानें जिनके खोलने का समय निर्धारत किया गया है, वे निर्धारित समय तक खुलें तथा समय होते ही उन्हें बंद किया जाए, इस पर निगम अमले द्वारा निरंतर नजर रखी गई तथा निर्धारित समय पर दुकानें बंद कराई गई, जिन व्यवसायियों ने निर्धारित समय के बाद भी दुकानें खोल रखी थी, उन पर अर्थदण्ड लगाया गया तथा उन्हें लाकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करने की समझाईश भी दी गई।